

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2162/2026

Smt. Gaindi Devi W/o Late Shri Lala Ram,

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dharam Veer Tholia, Adv. Mr. Himanshu Tholia, Adv. through VC.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/04/2026

अयाची संख्या-1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

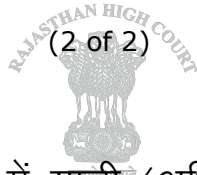
अयाची संख्या-2 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता का निवेदन है कि अभियुक्ता महिला है, लगाये गये आरोप निराधार है, वादग्रस्त संपत्ति पर स्वयं परिवादी अतिक्रमी के रूप में काबिज है, अभियुक्ता के स्वामित्व के संबंध में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्थगन आदेश पारित हो रखा है, मात्र दबाव बनाने के लिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश दिये जाते हैं कि अनुसंधान में सहयोग किये जाने की शर्त पर आगामी सुनवाई की तिथि तक पुलिस थाना **मालवीय नगर, जयपुर शहर पूर्व** में दर्ज प्रथम



सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2024 में याची/अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया जावे।

पत्रावली **तीन सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /47